राजस्थान–सरकार

कार्यालयः निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान,
डब्ल्यू–6, गौरव पथ, रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर–342032

:: सामान्य निर्देश सत्र 2023–24 ::

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) हेतु आवेदन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली, के नियमानुसार होना अनिवार्य हैं।
2. प्रबन्ध समिति/संस्था में प्रधान सहित 15 से 21 सदस्य होने चाहिए। प्रबन्ध समिति में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक हो।
3. प्रबन्ध समिति के प्रत्येक तीन वर्ष के बाद नवीन चुनाव होंगे।
4. आपत्तिजनक/ प्रतिबन्धित शब्द महाविद्यालय के नाम में न हों।
5. महाविद्यालय का नाम AICTE के मानदण्डानुसार ही होना चाहिए।
6. नया महिला महाविद्यालय खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में "महिला" शब्द आवश्यक रूप से जोडें।
7. आवेदक संस्था या समिति द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, शपथ पत्र द्वारा सत्यापित हो।
8. AICTE के मानदण्डानुसार संस्था/समिति/ट्रस्ट की स्वयं के नाम की भूमि हो। भूमि रूपान्तरण (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हो) आदेश/ रसीद मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।
9. AICTE के मानदण्डानुसार संस्था/समिति/ट्रस्ट स्वयं के नाम की भूमि पर ही भवन निर्मित हो।
10. महाविद्यालय के भवन के कक्ष AICTE के मानदण्डानुसार हो।
11. महाविद्यालय में AICTE के मानदण्डानुसार विद्यार्थियों हेतु निर्धारित सुविधायें होना आवश्यक है।
12. महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ AICTE के मानदण्डानुसार योग्यताधारी हों।
13. महाविद्यालय का आवेदन पत्र अपूर्ण होने, AICTE के मानदण्डानुसार दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न नहीं होने, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन–पत्र प्राप्त होने अथवा निरीक्षणोपरान्त समय पर कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा करवाया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।
14. अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) हेतु आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी AICTE की नवीनतम Approval Process Handbook (APH) 2023-24 एवं राज्य सरकार की NOC Policy का गहन अध्ययन कर लेवें।
15. आवेदन शुल्क रूपयों में उसी श्रेणी हेतु AICTE की नवीनतम APH (2023-24) में वर्णित शुल्क का पाँचवाँ हिस्सा होगा।
16. निर्धारित शुल्क, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डी.डी. "सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा" के नाम जो जोधपुर में देय हो, देना होगा।
17. AICTE पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात् आवेदक, आवेदन–पत्र का ऑनलाइन प्रिन्ट निकालकर संबंधित समस्त आवश्यक सत्यापित दस्तावेज यथाः शपथ–पत्र, सोसायटी का रिजोल्यूशन, अन्य फोरमेट्स की प्रतियाँ, निर्धारित शुल्क का मूल डी.डी., इत्यादि संलग्न करते हुए व्यक्तिशः/ रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा इस कार्यालय, "निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, डब्ल्यू–6, गौरव पथ, रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर" पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
18. HTE पोर्टल पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि 17.04.2023 निर्धारित है।
19. निदेशालय में मूल हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 20.04.2023 निर्धारित है।